

तारीख हुक्म	20/05/2024 हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियलस जज उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड (भीतवाड़ा)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	---	--

आचिवरग दादा पुल्लुर प्राठपत्र आदेश
 08 नियम 1 चारा 151 का प्राठपत्र प्रक्रिया
 व उनके आचिवरग उपस्थित नहीं होने से
 प्रक्रिया दादा पुल्लुर प्राठपत्र आदेश 08
 नियम 01 चारा 151 को अद्यतन हाजरी
 अद्यतन पैरकी में खाराज किया है। प्रकरण
 में वकील वादी ने वाडफ में बहल करने
 का निवेदन किया। वकीलवादी की एक
 फांसी बहल कुनी गई। आचिवरग वादी
 ने अपने वाडपत्र वकील वक्यों को डेटार
 हुए वाडपत्र में डिक्की किये जाने का
 निवेदन किया। मैंने फांकारानु में बहल,
 फांवरली पर उपलब्ध सामग्री (यहफैजाल) का
 अप्लोकन किया। प्रकरण में पत्थरागी मोक
 पचा, मोक रिपोर्ट के अनुसार वादी का वाड
 पत्र स्वीकार किया जाता है। विद्वर निगम
 प्रथम में खिरपमा जाकर शाठफां किया
 गया। फांवरली फैलप, शुमार होकर रुज
 नम्बर से कम है।

उपखंड अधिकारी पदेन
 सहायक कलक्टर करेड



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 26/2022 राजस्व वाद

कमलेश कुमार पुत्र श्री लादू लाल जैन आयु वयस्क निवासी- करेड़ा तहसील
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) — वादी

बनाम

1. सुख लाल पुत्र श्री नैनू बलाई आयु वयस्क निवासी- दहीमथा तहसील
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा
(राज0)

— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा- 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु.


उपस्थित :-

1. श्री मुकेश कुमार जैन —अधिवक्ता वादी
2. परोकार सरकार —अधिवक्ता-प्रतिवादी
3. श्री विनोद तिवाड़ी — अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 अनुपस्थित

: निर्णय ::

दिनांक- 12/04/2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के पिरुद्ध धारा 183 आर.टि.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद रेह पटवार हल्का दहीमथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) में आराजी नम्बर 1502/997 रकबा 0.0378 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वादी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है, जिसकी वादी ने उक्त आराजी व अन्य आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 02/2021 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 02 दो


उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

दिसम्बर 2021 दो हजार इक्कीस को हुआ, जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 एक को होने पर माह दिसम्बर 2021 दो हजार इक्कीस में प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा आराजी नम्बर 1502/997 रकबा 0.0378 हैक्टर में से पूर्वी मेड की तरफ 15 बाई 10 मीटर कुल 150 वर्गमीटर पर कब्जा कर अपनी आराजी में मिला दिया, जिससे दिनांक 27 सताईश जनवरी 2022 दो हजार बाईस को उक्त आराजी पत्थरगढ़ी गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर की गयी, जिसमें वादी की आराजी नम्बर 1502/997 रकबा 0.0378 हैक्टर में से पूर्वी मेड की तरफ 15 बाई 10 मीटर कुल 150 वर्गमीटर प्रतिवादी संख्या 01 एक का उक्तानुसार अवैध कब्जा पाया गया। जिसका प्रतिवादी संख्या 01 को कोई अधिकार नहीं है। वादी ने दिनांक 18 अठारह फरवरी 2022 दो हजार बाईस को उनके द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को छोड़कर, उक्त भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 एक साफ तौर इंकार कर दिया, जिससे वादपत्र पेश किया गया, अन्त में प्रार्थना दर्ज करते हुए सरहद रेह पटवार हल्का दहीमथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) में आराजी नम्बर 1502/997 रकबा 0.0378 हैक्टर के पूर्वी मेड की तरफ 15 बाई 10 मीटर कुल 150 वर्गमीटर प्रतिवादी संख्या 01 एक के किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादी को सिपुर्द कराया जाने का निवेदन किया गया।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादी के अधिवक्ता उपस्थित हुए, आगामी पेशी पर प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैंने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया, पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी आदेश


उपलब्ध अधिकारी पदेन
सहायक रजिस्टर करेड़ा

पर तैयार किये गये पर्चा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मौका रिपोर्ट मे भी वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढी पर्चा मौका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 एक ने सरहद रेह पटवार हल्का दहीमथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1502/997 रकबा 0.0378 हैक्टर के पूर्वी मेड की तरफ 15 बाई 10 मीटर कुल 150 वर्गमीटर पर कर रखे कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावे व इसी अनुसार डिक्री जारी की जावे। आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 12/04/2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।


उपर (महीपाली वसि) पदेन
सहायक आर.एस. करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 26/2022 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा- 183 आर.टि.एक्ट

कमलेश कुमार पुत्र लादू लाल जैन आयु वयस्क निवासी- करेड़ा तहसील करेड़ा जिला
भीलवाड़ा (राज0) — वादी

बनाम

1. सुख लाल पुत्र श्री नैनू बलाई आयु वयस्क निवासी- दहीमथा तहसील करेड़ा जिला
भीलवाड़ा (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
— प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन, एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 12/04/2022 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जायें।

वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार कर वादी का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढी पर्चा मौका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 एक ने सरहद रेह पटवार हल्का दहीमथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1502/997 रकबा 0.0378 हैक्टर के पूर्वी मेड की तरफ 15 बाई 10 मीटर कुल 150 वर्गमीटर पर कर रखे कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी करें। खर्चा फरीकेन अपना- अपना वहन करे।

(महीपाल सिंह)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी देन
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 12/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(महीपाल सिंह)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी देन
उपखण्ड अधिकारी देन
करेड़ा जिला भीलवाड़ा